उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक सुरक्षा अनुभाग
संख्या-03/2019/154/83-19-60सीडी/92
लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2019
विज्ञप्ति/प्रोन्नति

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा नियमावली-1992 व यथासंशोधित नियमावली-1996 (समूह-ख) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत (लोक सेवा आयोग उ0प्र0 की परिधि के बाहर के पदों पर) श्री राज्यपाल, सहायक उप नियंत्रक संवर्ग के निम्नलिखित सहायक उप नियंत्रकों (व0वे0) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के पद (वेतनमान रू0-56100-1,77,500 लेवल-10) पर प्रोन्नति करते हुए उनके नामों के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित नागरिक सुरक्षा नगरों में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का नगर	नवीन तैनाती का नगर
1	2	3	4
1	श्री सत्य प्रकाश सिंह	लखनऊ	गोरखपुर
2	श्री मुनेश कुमार गुप्ता	आगरा	झांसी
3	श्री नीरज मिश्रा	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद-चन्दौली	वाराणसी

2- उपरोक्त अधिकारीगण अपनी वर्तमान तैनाती के नगर से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के नगर में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3(1)/83-19 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
3- जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा नगर, लखनऊ, आगरा एवं चन्दौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद में तैनात अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4- जिलाधिकारी/नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जनपद-गोरखपुर, झांसी एवं वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यभार प्रमाणक प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें।
5- मुख्य कोषाधिकारी जनपद- लखनऊ, आगरा, चन्दौली, गोरखपुर, झांसी एवं वाराणसी।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।